विवरणी

~

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार मिकिस दान सिंह पिता रोगार्ठ को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के लोह 29 र्ज्यस्प तरी हुआ द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम पाकर वहार प्रित्त हिया गया। सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम पाकर वहार प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान लोह 29 व्यक्ति उपस्पित नहीं प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान लोह 29 व्यक्ति उपस्पित नहीं प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान लोह 29 व्यक्ति उपस्पित नहीं प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान लोह 29 व्यक्ति उपस्पित नहीं प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान लोह 29 व्यक्ति उपस्पित नहीं प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान लोह 29 व्यक्ति उपस्पित नहीं प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान को इनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अपने को हे 29 टस्तावेज प्रस्तुत नहीं किछा है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि

पंजी II में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार जिसरा राख्या दर्ज तथा है। राठउठनिठ एवं अंठनिठ ने जमाबन्दी रद करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिसस् धन तिह जिसस् धन तिह जिसस् धन तिह जिससे धन तिह जिससे पन तिह जिससे के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :--

मौज़ा 1	थाना संख्या 2	खाता संख्या 3	खेसरा संख्या 4	रकबा 5

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074 / रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704 / रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वींकृत किया जाता

लेखापित

अचल अधि



Scanned by TapScanner